न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, मथुरा।
प्रकीर्ण वाद संख्या–139/2022
अमित सिंह आदि बनाम श्री राम मंदिर धर्मशाला आदि

21.04.2026

पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र 4 क पर सुना।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 4 क अंतर्गत धारा 92(1) सी०पी०सी०

प्रार्थनापत्र 4 क प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि श्रीराम मंदिरं विराजमान राम मंदिर धौलीप्याऊ वार्ड नम्बर 4 शहर मथुरा तहसील व जिला मथुरा की सेवा पूजा मंदिर व उससे सम्बधित धर्मशाला, दुकानात जो नक्शा संलग्न दावा में अक्षर अ,ब,स,द से दिखायी है की देख भाल, मरम्मत में खर्चा एवं व उक्त से आमदनी व अन्य खर्चा के हिसाब के लिये स्कीम स्थित किया जाना आवश्यक है। वादीगण उक्त श्री रामजी में आस्था रखते हैं उक्त विधि व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। धौलीप्याऊ शहर मथुरा जिला मथुरा के वार्ड नम्बर 61 में एक प्राचीन राम मंदिर स्थित है जिस में श्रीराम जी आदि की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित है। प्रतिवादी संख्या–2 मंदिर का कार्यवाहक सेवायत है और मंदिर में सेवा पूजा करता है। राम मंदिर के साथ ही धर्मशाला स्थित है, धर्मशाला में यानी अल्प समय के लिये नाममात्र किराये पर आश्रय ग्रहण करते हैं और रेनवसेरा आदि करते हैं। धर्मशाला के अतिरिक्त मंदिर में चौदह दुकानात है जिनमें किरायेदार आबाद हैं। उक्त मंदिर तथा धर्मशाला व दुकानात को नक्शा नजरी संलग्न दावा में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शाया है तथा नक्शा में मंदिर, धर्मशाला, दुकानात यथा स्थान दर्शित स्थित है। नक्शा संलग्न वादपत्र का भाग रहेगा। मंदिर सार्वजनिक है तथा धर्मशाला व दुकानात श्री राम जी विराजमान की सम्पत्ति है। वादीगण उक्त श्री रामजी आदि में आस्था रखते हैं और मंदिर में नियमित सेवा पूजा तथा प्रबन्ध व मंदिर जुड़ी हुई सम्पत्ति के रख रखाव तथा आमदनी के उचित प्रयोग में हित रखते हैं। उक्त मंदिर धर्मशाला दुकानात की आमदनी खर्चा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। एक अर्से से कुछ असमाजिक तत्व आमदनी का दुरूपयोग कर रहे हैं सम्पत्तियों का उचित रख रखाब नहीं हो रहा है और कुछ किरायेदार किराया भी अदा नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वादीगण धारा 92 (जी) सी०पी०सी० के अन्तर्गत स्कीम स्थिर करने की डिकी करा पावे। श्री रामजी मंदिर की सेवा पूजा व उसकी सम्बधित धर्मशाला व दुकान के रख रखाब, सेवा पूजा आमदनी खर्चा की हिसाब किताब रखने के लिये स्कीम स्थिर करने के लिये दावा के लिये धारा 92 (1) के अन्तर्गत न्यायालय की इजाजत से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कथनों के आधार पर धारा–92(1) सी०पी०सी० के अन्तर्गत वादीगण को दावा दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादीगण का यह कथन है कि जनपद मथुरा के धौलीप्याऊ स्थित श्रीराम मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, जिसमें भगवान श्रीराम की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठित मूर्ति विराजमान है। यह भी निवेदित है कि उक्त मंदिर के साथ एक धर्मशाला तथा लगभग चौदह दुकानें संलग्न हैं,

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.04.22 14:35:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जो देवता की संपत्ति (endowment) हैं। प्रार्थी/वादीगण का मुख्य रूप से यह कथन है कि उक्त संपत्तियों की आय-व्यय के संबंध में कोई समुचित एवं पारदर्शी व्यवस्था नहीं है तथा कुप्रबंधन, धन के दुरुपयोग एवं उचित रख-रखाव के अभाव के आरोप विद्यमान हैं, जिसके कारण न्यायालयीय हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।प्रार्थी/वादीगण, जो उक्त सार्वजनिक ट्रस्ट में हित रखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92(1) के अंतर्गत वाद संस्थित करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी, ताकि मंदिर एवं उससे संबंधित संपत्तियों के समुचित प्रबंधन हेतु एक विधिवत स्कीम निर्धारित कराई जा सके।

धारा 92 सी०पी०सी० के क्षेत्राधिकार एवं उद्देश्य के संबंध में विधि व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **R.M. Narayana Chettiar v. N. Lakshmanan Chettiar** में यह प्रतिपादित किया है कि अनुमति प्रदान करने के चरण पर न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि करनी होती है कि मामला एक सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित है तथा धारा 92 के अंतर्गत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस स्तर पर विस्तृत साक्ष्य परीक्षण अपेक्षित नहीं है।

इसी प्रकार विधि व्यवस्था **Charan Singh v. Darshan Singh** में यह कहा गया कि धारा 92 का उद्देश्य सार्वजनिक ट्रस्टों के संबंध में अनावश्यक बहुवाद (multiplicity of proceedings) को रोकना तथा उनके उचित प्रशासन को सुनिश्चित करना है।

इसी प्रकार विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Tilkayat Shri Govindlalji Maharaj v. State of Rajasthan** यह भी प्रतिपादित किया कि देवता को समर्पित संपत्तियां एक धार्मिक न्यास (religious endowment) होती हैं और उनका उपयोग श्रद्धालुओं के हित में तथा विधि अनुसार होना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, द्वारा समय-समय पर यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि धारा 92 सी०पी०सी० के अंतर्गत अनुमति प्रदान करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त (condition precedent) है तथा इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि वादपत्र में ट्रस्ट के उल्लंघन (breach of trust) या स्कीम निर्धारण की आवश्यकता का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

उपरोक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तुत प्रकरण एक सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधन से संबंधित है तथा कुप्रबंधन एवं आय-व्यय के अभाव के आरोप प्रथम दृष्टया विचारणीय हैं, तद्नुसार प्रार्थनापत्र 4 क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अतः, प्रार्थनापत्र 4 क स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/वादीगण को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-92(1) के अंतर्गत वाद संस्थित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दिनांक-15.05.2026 को पेश हो।

दिनांक–21.04.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।